फर्द अहकाम
(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

शोभालाल पिता नाथुलाल कच्छावा निवासी हरनाथपुरा, तहसील राशमी
बनाम
गोपीलाल पिता हेमराज काछी निवासी हरनाथपुरा तहसील राशमी वगैरा

प्रकरण संख्या 09/2014 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष आज भी अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली दिनांक 18.02.2015 से बहस की स्टेज पर लम्बित चल रही है। अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा बार–बार बहस हेतु अवसर लिये गये। उसके पश्चात् उभय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उपस्थिति नहीं दी जा रही है। अधिवक्ता उभय पक्ष दिनांक 29.01.2021 से उक्त प्रकरण में अनुपस्थित चल रहे हैं अधिवक्ता उभय पक्ष के अनुपस्थित रहने से दिनांक 28.09.2022 को न्यायहित में अन्तिम अवसर तथा दिनांक 11.11.2022 को अन्तिम अवसर दिए जाने के उपरान्त भी एक अतिरिक्त अवसर ओर देते हुए निर्देशित किया गया था कि आगामी पेशी पर अनुपस्थित रहने पर पत्रावली खारिज करने की कार्यवाही की जावेगी फिर भी अधिवक्ता उभय पक्ष आज भी उपस्थित नहीं हुए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष तथा उनके अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

Web Copy - Not Official